

**12.05 hrs**

**Motion for election of Fifteen Members of Lok Sabha and Seven Members of Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts**

**SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR):** I wish to move the following:-

That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from amongst themselves to serve as members of the Public Accounts Committee for the term beginning on the 1<sup>st</sup> May, 2026 and ending on the 30<sup>th</sup> April, 2027.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

**SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR):** I rise to move the following:-

That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha for being associated with the Public Accounts Committee of the House for the term beginning on the 1<sup>st</sup> May, 2026 and ending on the 30<sup>th</sup> April, 2027 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---